अंज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

76/2022/225 श्रीमती रुकमणी vs गुलाब चन्द

तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील जारी हुए
पेशी	2022/76 श्री गजेन्द्र सिंह श्री तालीम सिंह रावत 1 से 12	

श्रीमती रूकमणी बनाम गुलाब चन्द वगैरह

6.10.22 पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक अपीलांट एवं अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 01से 12 उपस्थित। अभिभाषक उभयपक्ष ने उपस्थित होकर बताया कि माननीय राजस्व मण्डल राज.अजमेर के समक्ष टीए/निगरानी/अजमेर/2021/821 का निर्णय दिनांक 12.02.2021 को हो चुका था किन्तु उक्त आदेश की प्रति माननीय न्यायालय के समक्ष दिनांक 25.02.2022 को प्राप्त हुयी थी। माननीय मण्डल ने अपने आदेश दिनांक 12.02.2021से उक्त निगरानी को ग्राह्यता के स्तर ही खारिज करते हुए, प्रकरण के तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए मण्डल में अन्तर्निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपील में बहुलता एवं जटिलतायें से बचने के लिये न्यायहित में वादग्रस्त भूमि का बेचान, रहन, हस्तांतरण नहीं करने एवं मौके एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु उभय पक्ष को पाबंद किया है। अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर को निर्देशित किया जाता है कि उनके समक्ष लम्बित धारा 5 मियाद अधिनियम एवं स्थगन प्रार्थना पत्र का निस्तारण विधि सम्मत् रूप से उभयपक्ष को सुनवाई कर एक माह में आवश्यक रूप से करें। माननीय मण्डल से आदेश दिनांक 12.02.2021 का आदेश दिनांक 25.02.2022 को प्राप्त होने से सहवन से अपील पुनः दर्ज रजिस्टर कर दी गयी जबकि माननीय मण्डल के आदेशानुसार अपील पर दिनांक 5.04.2021 को ही आदेश पारित किये जा चुके थे। माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि उक्त अपील को नम्बर से कम करने के आदेश दिये जाकर पत्रावली को फैसलशुमार की जावे।

अतः माननीय मण्डल से आदेश दिनांक 12.02.2021 का आदेश दिनांक 25.02.2022 को प्राप्त होने से सहवन से अपील पुनः दर्ज रजिस्टर कर दी गयी जबकि माननीय मण्डल के आदेशानुसार अपील पर दिनांक 5.04.2021 को ही आदेश पारित किये जा चुके थे। अपील को सहवन् से दर्ज की गई है इसलिए अपील नम्बर से कम की जाकर फैसलशुमार की जाती है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर